

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: ०५ अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

विषय:- कार्यालय आदेश संख्या- 278/जी०एस०टी०/2017-18/फाइल नं०-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 का संशोधन।

वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या- 278/जी०एस०टी०/2017-18/फाइल नं०-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 से वि०अनु०शा० इकाईयों में तैनात उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा राज्य कर/वाणिज्य कर अधिकारी को धारा-68, 70, 126, 127, 129 तथा 130 के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) तथा सचल दल इकाईयों में तैनात उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा राज्य कर/वाणिज्य कर अधिकारी को उत्तर प्रदेश एस.जी.एस.टी. की धारा-67(11), 68, 70, 126, 127, 129 तथा 130 के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया गया है।

2. पुनः कार्यालय आदेश संख्या- जी.एस.टी./2019-20/172/वाणिज्य कर दिनांक 27 मई, 2019 से मूल आदेश संख्या- 278/जी०एस०टी०/2017-18/फाइल नं०-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के पृष्ठ संख्या-2 पर अंकित तालिका के क्रमांक-4 एवं 7 में संशोधन करते हुए वि०अनु०शा० इकाईयों में तैनात अधिकारियों को उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा-54 एवं धारा-67(11) तथा सचल दल इकाईयों में तैनात अधिकारियों को उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा-54 के प्रयोजनार्थ उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया गया।

3. (i) वि०अनु०शा० इकाईयों तथा सचल दल इकाईयों अधिकारियों को किसी प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान पंजीयन योग्य (Liable to be registered) अपंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) वि०अनु०शा० तथा सचल दल इकाईयों में तैनात अधिकारियों द्वारा धारा-129 तथा धारा-130 के अन्तर्गत पारित आदेशों से सृजित मांग की वसूली धारा-79 के प्राविधानों के तहत किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय से जारी मूल आदेश संख्या- 278/जी०एस०टी०/2017-18/फाइल नं०-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के पृष्ठ संख्या-2 पर अंकित तालिका की प्रविष्टि क्रमांक-4 एवं 7 को निम्नवत् संशोधित करते हुए क्रमांक-7 के उपरान्त क्रमांक-7A पर नई प्रविष्टि निम्नवत् शामिल की जाती है-

क्र०सं०	अधिकारी का पदनाम	उ०प्र० माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
4.	1. वि०अनु०शा० इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. वि०अनु०शा० इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. वि०अनु०शा० इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	25(8), 54, 68, 70, 79, 126, 127, 129, 130

7.	1. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	25(8), 54, 68, 70, 79, 126, 127, 129, 130
7A	धारा-67(1) एवं 67(11) के अन्तर्गत नामित उचित अधिकारी (Proper Officer) द्वारा अधिकृत अधिकारी	67(11)

उक्त तालिका के कॉलम-2 में अंकित अधिकारी कॉलम-3 में उनके सम्मुख अंकित उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धाराओं के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) होंगे।

मूल आदेश संख्या- 278/जी0एस0टी0/2017-18/ फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 तथा इस मूल आदेश के संशोधन के सम्बन्ध में जारी अनुवर्ती आदेशों के शेष अंश यथावत बने रहेंगे।

✍
(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 / /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 उच्च न्यायालय कार्य0 वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(टैक्स ऑडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त आयुक्त (उच्चतम न्यायालय कार्य0)/(उच्च न्यायालय कार्य0), वाणिज्य कर, गाजियाबाद/लखनऊ/इलाहाबाद।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

✍
(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी.एस.टी.),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।